न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 116 / 2014

दायर दिनांक 18.06.2014

उनवान

1. शंकरलाल पिता धीसूलाल जाति त्रिपाठी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कैलाशचन्द्र उर्फ गिरजाशंकर पिता धीसूलाल जाति त्रिपाठी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

—— वादीगण

बनाम

1. भैरूशंकर पिता मांगीलाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. सोहनीदेवी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. पुष्पादेवी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी कपासन फोत के बजाय—
   3/1—दिनेश प्रकाश पिता मनोहरशंकर जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी चंगेडी तहसील मावली जिला उदयपुर।
   3/2—निर्मला पुत्री मनोहरशंकर जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी चंगेडी तहसील मावली जिला उदयपुर।
   3/3—ममता पुत्री मनोहरशंकर जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी चंगेडी तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. कृष्णा देवी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी कपासन फोत के बजाय —
   4/1— अनिल कुमार पिता रामप्रसाद ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी सोनियाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।
   4/2— पारस पिता रामप्रसाद ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी सोनियाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।
   4/3— गोपाल कृष्ण पिता रामप्रसाद ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी सोनियाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।
5. शान्ता देवी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. नानी देवी पत्नी मांगीलाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला-चित्तौडगढ •

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 30.04.2025

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि वाके मौजा कपासन के हल्के बेरुनी मे वर्तमान जमाबन्दी दर्ज आ0सं0 5491 रकबा 0.06 हैक्ट0 स्थित है जिसके साबिक रेवेन्यु रेकार्ड के आ0सं0 2117 रकबा 6 बिस्वा था और यह आराजी मांगी लाल पिता कजोडीमल ब्राह्मण के नाम दर्ज थी जिन्होने तारीख 14/6/88 को बील एवज 1000/— रूपये एक हजार रूपये मे वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड बिकाव नामे से उसी दिन कब्जा सौंप दिया और वक्त खरीद से

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

आराजी पर वादीगण काबीज होकर काश्त करते आ रहे है वादीगण ने खरीफ की फसल ...ो बोई और ली ।

...ह कि वाद कॉलम उल्लेखित आराजी वादीगण ने मांगीलाल ने खरीद की और मांगीलाल जी ...ोत हो गये उनके वारिस प्रतिवादीगण है आराजी खरीद वक्त हल्के का भू प्रबन्ध हो रहा था ...क्त खरीद आराजी का इन्तकाल खुलाने की दरख्वास्त दी गई परन्तु प्रतिवादीगण सं0 7 के कर्मचारीयो ने इन्तकाल अमल दरामद रद्दोबदल नही किया अतः यह घोषणा कराया जाना जरूरी है कि वाद कालम एक में उल्लेखित आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है, और हाल रेवेन्यू रेकार्ड इसी अनुसार दुरुस्त होना चाहिये।

यह कि उल्लेखित आराजी के भू प्रबन्ध में नम्बर तब्दील हो गये हाल जमाबन्दी देखने आज ...े खुलासा जानकारी में आया कि वादीगण द्वारा खरीदसुदा आराजी बेचवाल के नाम ही दर्ज है जिसकी पुख्ता जानकारी रेवेन्यू रेकार्ड लेने से आज दिनांक 23–4–14 को हुई जिस पर प्रतिवादीगण को दुरुस्ती हेतु कहा जो तैयार है परन्तु नम्बर तब्दील होने से दावा करना लाजमी हुआ जिससे बिनाय दावा पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि पक्षवादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे. कि वाद पत्र की कॉलम संख्या एक मे उल्लेखित आराजी सं0– 5491 रकबा 0.06 हैक्ट0 के वादीगण खातेदार काश्तकार है और हाल रेवेन्यू रेकार्ड इसी अनुसार दुरुस्त फरमाया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पवन पाल सिंह चौधरी का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत जो शा0फा0 है। साक्ष्यवादी में वादी शंकरलाल पिता घीसुलाल जाति त्रिपाठी का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। शपथग्रहिता वादी ने वादपत्र के समर्थन एवं पुष्टि में दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो हाल जमाबन्दी प्रदर्श–01, साबीक जमाबन्दी प्रदर्श–02, मिलान सीट प्रदर्श–03, बहनामा आराजी जो मांगीलाल जी से खरीद की असल प्रदर्श– 04 व बहनामे की फोटोप्रति प्रदर्श– 04 ए है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी का अवलोकन किया जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–4ए रजिस्टर्ड बहनामें का अवलोकन किया जिसमें साबिक आराजी संख्या 2117 रकबा 6 बिस्वा मांगीलाल पिता कजोडमल द्वारा सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण को बेचान कर दिया गया है। प्रदर्श–3 मिलान शीट का अवलोकन किया जिसमें साबिक आराजी संख्या 2117 रकबा 6 बिस्वा से आराजी संख्या 5491 रकबा 0.06 हैक्ट0 बना है। उक्त आराजी संख्या 5491 वर्तमान में बेचान कर्त्ता मांगीलाल के वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 5491 वादीगण की आराजीयात है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम दर्ज हक हिस्सा जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व प्रतिवादीगण के जवाब इकबालिया के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए के हल्के बेरुनी मे वर्तमान जमाबन्दी दर्ज आ0सं0 5491 रकबा 0.06 हैक्ट0 वादीगण शंकरलाल पिता घीसुलाल जाति त्रिपाठी हिस्सा 1/2 निवासी कपासन व कैलाश चन्द्र उर्फ गिरजाशंकर पिता घीसुलाल जाति त्रिपाठी हिस्सा 1/2 निवासी कपासन के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौडगढ

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन